न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 17 / 2012
प्रविष्टि दिनांक 06.07.2012

1–श्योजी पुत्र नानू जाति जाट निवासी रीण्डल्यारामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
2–प्रधान पुत्र काना जाति जाट निवासी रीण्डल्यारामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
3–मुकेश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी रीण्डल्यारामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

.....प्रार्थीगण

बनाम

1–जगदीश पुत्र पोखर जाति बैरवा निवासी रीण्डल्यारामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
2–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 14.02.2020

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.11.2010 को प्रतिपक्षी संख्या–1 को आ0ख0नं0 440 मे रकबा 0.30 है0 व आ0ख0नं0 659 रकबा 0.13 है0 भूमि वाके ग्राम रीण्डल्यारामपुरा तहसील टोडारायसिंह में आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 सूचना के उपरान्त अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया है कि आवंटन की गई भूमि आराजी खसरा नम्बर 440 रकबा 0.30 है0 व 659 रकबा 0.13 है0 भूमि आवंटन की दिनांक को खाली नही थी। खसरा नम्बर 440 मे बाडा एंव खसरा नम्बर 659 मे मकान बना हुआ है। यह भूमि आबादी के समीप स्थित है। उक्त दोनो खसरा नम्बरान मे बने हुए बाडे व मकान का आवेदकगण अपने पूर्वजो के समय से यानि विगत 69–70

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

साल से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त भूमि आज दिनांक तक काश्त नही की गई है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त आंवटन किया गया है। आराजी भूमि खसरा नम्बर 440 एंव 659 आवेदकगण की अन्य खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 660,661,662 के बीचोबीच स्थित है। जिस पर आवेदकगण का बरसो से बाडा व मकान बना हुआ है। आवेदकगण मकान मे मय परिवार निवास करते है तथा बाडे मे कृषि यन्त्र,जानवरो बान्धते है,रेवडी व चारा रखते चले आ रहे है। उक्त भूमि स्माल ऑफ स्ट्रीप्ट ऑफ लैण्ड की परिभाषा मे आती है। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नही है। प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति से तथ्यो को छिपाकर कराया है,क्योकि उस दिन भी आवेदकगण का उक्त भूमि पर बाडा व मकान बना हुआ था जिससे आवंटन फ्राड एंव मिसरिप्रन्टेशन की परिभाषा मे आता है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नही है। आवंटन के लिये आवेदन फार्म मे गलत विवरण दिया गया है। आवंटन मजमेआम मे भी नही किया गया है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी जगदीश पुत्र पोखर जाति बैरवा निवासी रीडल्यारामपुरा को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 19.11.2010 को आ0ख0नं0 440 रकबा 0.30 है0 व आ0ख0नं0 659 रकबा 0.13 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि वाके ग्राम रीडल्यारामपुरा मे आवंटन किया गया है।

अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है,आवंटी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है, आवंटी सद्भावी कृषक नही है। विवादित खसरा नम्बरान मे बने हुए बाडे व मकान का आवेदकगण अपने पूर्वजो के समय से ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित भूमि आज दिनांक तक काश्त नही की गई है।

पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजात नही है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि काश्त की गई हो। विवादित भूमि आबादी के समीप है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14 की उपधारा (3) मे आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष मे भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष मे आवश्यक रूप से जोतने की शर्त है,परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त नियम की पालना मे आवंटित भूमि को तत्समय नही जोता तथा उसके पश्चात भी आज तक नही जोता है।

आवंटी द्वारा आवंटित भूमि मे काश्त न कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार का उद्देश्य भूमिहीन कृषको को भूमि आवंटन कर उनके द्वारा भूमि काश्त कर उसके जीविकोपार्जन हेतु दिये जाना है,परन्तु जब आवंटी द्वारा भूमि काश्त नही की जाती है तो उस आवंटन का कोई औचित्य नही रहता है। अतः ऐसी स्थिति मे आवंटन यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी जगदीश पुत्र पोखर जाति बैरवा निवासी रिण्डल्यारामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 19.11.2010 को ग्राम रीडल्यारामपुरा की आ0ख0नं0 440 रकबा 0.30 है0 व खसरा नम्बर 659 रकबा 0.13 है0 भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक
अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 14:06:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: